JAMIA MILLIA ISLAMIA

(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammed Ali Jauhar Marg
New Delhi-110025

Tel. : 26984075, 26988044
26981717, 26985176
Fax : 26980229, Grams : JAMIA
E-mail : ssajid@jmi.ac.in
Website : http//jmi.nic.in

Office of the Registrar

No. JMI/R.O./L&Ord./2012 December 26, 2012

NOTIFICATION

This is to notify for the information of all concerned that the President of India in his capacity as the Visitor of Jamia Milllia Islamia has been pleased to accord his assent for addition of the following Clause-b to Statute 15(x-a) of JMI Act, 1988 for making provision of elected representation of various Centres in the Academic Council, as conveyed by the Ministry of Human Resource Development, Deptt. of Higher Education vide their letter No.F.6-12/2012-Desk-U dated November 23, 2012.

> *"(x-b) Two* teachers *from the Centres created under Statute 22-A of the Jamia Millia Islamia Act, elected by teachers of such Centres for a period of three years. Provided further that no teacher shall be eligible for election to the Council for more than two terms during his/her entire tenure of service of the University."*

(Prof. S. M. Sajid)
Registrar

Copy for information & necessary action to:-

1. The Secretary to the Govt. of India, MHRD, New Delhi
2. The Secretary, University Grants Commission, New Delhi
3. The Under Secretary, Ministry of HRD, (Deptt. of Higher Education), New Delhi (10 Copies)
4. All the Deans of Faculties of JMI
5. The Dean, Students' Welfare, JMI
6. All the Heads of the Departments, JMI
7. The Directors/Hony. Directors of the Centres, JMI
8. The Controller of Examinations, JMI
9. The Chairman, Ordinance Committee, JMI
10. The Hony. Director, FTK Centre for Information Technology, JMI – With the request to incorporate in the appropriate place of the University's Statutes and also for display on the Jamia's Website.
11. The Finance Officer, JMI
12. The Dy. Registrar (Admn.), JMI – He is requested to please get the correction incorporated in the printed copies of Jamia Act, Statutes available in his Branch.
13. The Dy. Registrar (HRD), JMI
14. The OSD (Establishment), JMI
15. The Development Officer, JMI
16. The Media Co-ordinator, JMI
17. The Hindi Officer, JMI - With the request to pursue uploading on University's website and updating the amendment in the relevant Statute.
18. The Secretary to the Vice-Chancellor, JMI
19. The Asstt. Registrar (Legal & Ord.), JMI
20. The Asstt. Registrar (A&C), JMI
21. The P.A. to the Pro-Vice-Chancellor, JMI
22. The Asstt. Registrar, Registrar's Secretariat, JM
23. File Folder

10/1/2013

JAMIA MILLIA ISLAMIA
(A Central University by an Act of Parliament)
Maulana Mohammed Ali Jauhar Marg, New Delhi-110025
जामिआ मिल्लिया इस्लामिया
(संसदीय अधिनियमानुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय)
मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग, नई दिल्ली-110025

टेली. : 26984075, 26988044
: 26985176, 26981717
फैक्स. : 26980229
ग्राम्स : जामिया
ई.मेल : ssajid@jmi.ac.in
वेबसाइट : http//jmi.ac.in

جامعہ ملیہ اسلامیہ

कुलसचिव कार्यालय

सं. जा.मि.इ./आर.ओ./एल एंड ऑर्ड./2012 — 26 दिसम्बर, 2012

अधिसूचना

सभी संबंधितों की सूचना हेतु अधिसूचित किया जाता है कि भारत के राष्ट्रपति ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाध्यक्ष की हैसियत से जा.मि.इ. अधिनियम, 1988 के संविधि 15 (x-क) के निम्नलिखित खण्ड–ख में विभिन्न केन्द्रों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को अकादमिक परिषद् में शामिल करने के प्रावधान निमित्त अपनी सहमति प्रदान की है जिसकी सूचना उच्चतर शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एफ.6–12/2012–डेस्क (यू), दिनांक 23 नवम्बर, 2012 द्वारा दी है।

" (x-ख) जामिया मिल्लिया इस्लामिया अधिनियम के संविधि 22–क के अंतर्गत निर्मित केन्द्रों के दो शिक्षक, जिनको उन केन्द्रों के शिक्षकों द्वारा तीन वर्ष के लिए निर्वाचित किया गया हो। बशर्ते कि कोई भी शिक्षक विश्वविद्यालय में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान परिषद् में ***शामिल किए जाने हेतु दो बार से अधिक नहीं चुना जा सकता।"***

(प्रो० एस.एम.साजिद)
कुलसचिव

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि :

1. सचिव, भारत सरकार, मा.सं.वि.मं., नई दिल्ली
2. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली
3. अवर सचिव, मा.सं.वि. मंत्रालय, (उच्चतर शिक्षा विभाग), नई दिल्ली (10 प्रतियां)
4. जा.मि.इ. के सभी संकायाध्यक्ष
5. डीन, विद्यार्थी कल्याण, जा.मि.इ.
6. सभी विभागाध्यक्ष, जा.मि.इ
7. केन्द्रों के निदेशक/मानद निदेशक, जा.मि.इ.
8. परीक्षा नियंत्रक, जा.मि.इ.
9. अध्यक्ष, अध्यादेश समिति, जा.मि.इ.
10. मानद निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी एफ.टी.के. केन्द्र, जा.मि.इ.–इस अनुरोध के साथ कि उपर्युक्त को विश्वविद्यालय के परिनियम में उपयुक्त स्थान पर शामिल किया जाए तथा साथ ही जामिया की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाए।
11. वित्त अधिकारी, जा.मि.इ.
12. उप कुलसचिव (प्रशा.), जा.मि.इ.– आपसे अनुरोध है कि आप अपनी शाखा में उपलब्ध जामिया अधिनियम, परिनियमों की मुद्रित प्रतियों में कृपया संशोधन करवाएं।
13. उप कुलसचिव (मा.सं.वि.), जा.मि.इ.
14. ओ.एस.डी. (स्थापना), जा.मि.इ.
15. विकास अधिकारी, जा.मि.इ.
16. मीडिया समन्वयक, जा.मि.इ.
17. हिन्दी अधिकारी, जा.मि.इ. – इस अनुरोध के साथ कि विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोडिंग का अनुसरण किया जाए तथा संबंधित परिनियम में संशोधन को अपडेट किया जाए।
18. कुलपति के सचिव, जा.मि.इ.
19. सहायक कुलसचिव (विधि एवं अध्यादेश), जा.मि.इ.
20. सहायक कुलसचिव (ए एण्ड सी), जा.मि.इ.
21. निजी सहायक, सम–कुलपति, जा.मि.इ.
22. सहा. कुलसचिव, कुलसचिव सचिवालय, जा.मि.इ.
23. फाइल/फोल्डर